

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/29/2015/19/यो 6128
प्रति,

भोपाल दिनांक 08/10/2015

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 125वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 125वीं बैठक जो दिनांक 21.09.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार कार्य की लागत 1.00 करोड़ से कम होने के कारण बजट पुस्तिका में प्रकाशित करवाना आवश्यक न होने के कारण दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	रतलाम	24/5054	रामनगर से रूपाखेड़ा मार्ग बी - 1111	1.30	68.30
2	शिवपुरी	24/5054	बाई पास से सर्किट हाउस तक सीवर लाईन से ध्वस्त का सी. सी. निर्माण	0.60	90.05
3	शिवपुरी	24/5054	क्राफ्ट रोड (साइस कालेज से सरकुलर नाका) सीवर लाईन से ध्वस्त का सी. सी. मार्ग निर्माण	0.90	99.95
4	झाबुआ	42/5054	प्रशांत प्रिंस मार्ग (बामनिया से नरेला)- सी. सी. मार्ग	0.78	99.68

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 42/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यो हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताये पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।


3/ उपरोक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाय।
(सचिव, लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-04 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(एस0 के0 कुलकर्णी)

उप सचिव

म0प्र0 शासन लो0नि0वि0


/2/

पृ० क्रमांक एफ-43/29/2015/19/यो 6129
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 08/10/2015

- 1- मुख्य अभियंता, (उज्जैन परि०) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
- 2- मुख्य अभियंता (उत्तर परि०) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
- 3- मुख्य अभियंता (पश्चिम परि०) लोक निर्माण विभाग इन्दौर।
- 4- निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 04 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


7/10/15
उप सचिव
मो० प्र० शासन लो० नि० वि०

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/29/2015/19/यो 6126
प्रति,

भोपाल दिनांक 08/10/2015

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 125वीं बैठक।
(शाजापुर जिले में ग्राम दुग्धा से लहारखेड़ा मार्ग पर अजनई नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण)

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 125वीं बैठक जो दिनांक 21.09.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार शाजापुर जिले में ग्राम दुग्धा से लहारखेड़ा मार्ग पर अजनई नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण के लिये जिसकी लागत 165.09 लाख (रूपये एक करोड़ पैंसठ लाख नौ हजार) केवल से अधिक न की योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।


2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मांग संख्या 24/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उपरोक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाईड पर डाला जाय।
(सचिव, लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-01 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस0 के0 कुलकर्णी)
2/10/15

उप सचिव


म0प्र0 शासन लो0नि0वि0

भोपाल दिनांक 08/10/2015

पृ0 क्रमांक एफ-43/29/2015/19/यो 6127
प्रतिलिपि:-

1- मुख्य अभियंता, (सेतु परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।

2- निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव 2/10/15

म0प्र0 शासन लो0नि0वि0

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/29/2015/19/यो -7892

भोपाल दिनांक 28/12/2015

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 125वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 125वीं बैठक जो दिनांक 21.09.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	रतलाम	24/5054	सरवड़ से मोतीपुरा व्हाया कुण्डाल मार्ग बी - 1111	11.20	768.68
2	रतलाम	24/5054	लालगुवाड़ी से रानीसिंग मार्ग बी - 1111	4.50	361.18
3	रतलाम	24/5054	बल्लीखेड़ा से अम्बापाड़ा मार्ग बी - 1020	3.65	227.72
4	रतलाम	24/5054	हालीवाड़ा चरपोटा चिकनी फंटा मार्ग बी - 1020	2.35	152.65
5	रतलाम	24/5054	बिलपांक से दन्तोड़िया प्रीतमनगर मार्ग बी - 1111	7.80	542.48
6	रतलाम	24/5054	धराड़ से नौगावा रेल्वे स्टेशन मार्ग बी - 1111	5.40	383.33
7	रतलाम	24/5054	ढिकवा से बड़गावा मार्ग बी - 1111	3.00	176.12
8	रतलाम	24/5054	बेरछा से ढिकवा मार्ग बी - 1111	4.00	327.55
9	रतलाम	24/5054	धराड़ से शिवपुर रास्ते फेल तक मार्ग बी - 1111	4.40	316.55
10	रतलाम	24/5054	ईटावामाताजी से फोरलेन मांगरोल फंटा मार्ग बी - 1111	2.00	118.32
11	रतलाम	24/5054	लुनेरा से राजपुर मार्ग बी - 1111	4.10	290.85
12	रतलाम	24/5054	बांगरोद से धौसवास मार्ग बी - 1111	4.50	352.82

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
13	रतलाम	24/5054	धामनोद नगर आंतरिक मार्ग बी - 1122	2.30	406.51
14	रतलाम	24/5054	उकाला से सालाखेड़ी मार्ग बी - 1111	1.30	184.16
15	रतलाम	24/5054	धराड़ से इटावामाताजी मार्ग बी - 1111	3.00	221.69
16	शिवपुरी	24/5054	रघुनाथराव दिनकर मार्ग का सी. सी. निर्माण कार्य	1.25	153.09
17	शिवपुरी	24/5054	वी. आई. पी. रोड़ सीवर लाईन से ध्वस्त मार्ग का सी. सी. मार्ग निर्माण	0.65	125.10
18	शिवपुरी	24/5054	नवाब साहब पहुँच मार्ग सीवर लाईन से ध्वस्त मार्ग का सी. सी. मार्ग निर्माण पुनर्निर्माण	0.80	128.40
19	झाबुआ	42/5054	एस. एच. 18 मुख्य मार्ग से ग्राम खोरिया मार्ग	2.10	131.59
20	झाबुआ	42/5054	हमीरगढ़ से मोच्याघाटी मार्ग	3.55	283.09
21	झाबुआ	42/5054	नाहरपुरा असालिया मिडिल स्कूल से अमरगढ़ मार्ग	5.35	423.38
22	झाबुआ	42/5054	मठमढ़ से देवगढ़ हनुमतिया मार्ग	5.90	478.12
23	झाबुआ	42/5054	गुणावद से बलियापाड़ा धावड़िया मार्ग	6.50	407.87

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 के तृतीय अनुपूरक बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 42/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उपरोक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाय।

(सचिव, लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-23 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(एस0 के0 कुलकर्णी)

उप सचिव


म0प्र0 शासन लो0नि0वि0

पृ० क्रमांक एफ-43/29/2015/19/यो -7893 भोपाल दिनांक 28/12/2015

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य अभियंता, (उज्जैन परि०) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
- 2- मुख्य अभियंता (उत्तर परि०) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
- 3- मुख्य अभियंता (पश्चिम परि०) लोक निर्माण विभाग इन्दौर।
- 4- निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 04 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


उप सचिव 28/12/15
म०प्र० शासन लो०नि०वि०